न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
17/2026 प्रा.पत्र/2026 जीसीएमएस नं0–45/2026	11.02.2026	17.04.2026

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीटस, छाया मार्केट जहाजपुर चुँगी नाका के पास देवली जिला टोंक निवासीं वार्ड नं0. 9 घोषी मोहल्ला, देवली जिला टोंक(राज0)। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 9460592906

2–श्री दीपक लालवानी पुत्र श्री कन्हैया लाल पार्टनर मैसर्स राजेश डेयरी प्रोडक्ट, प्लॉट नं0 91–95 ब्लॉक नं0 1019 व 1020 फेज 4 गायत्री मन्दिर से जी0आई0डी0सी0 नरोडा, अहमदाबाद गुजरात पिन न0 382330 निवासी 3, कृष्णा कुंज बंगलो राजधानी सोसाईटी के पास माया सिनेमा रोड कुबेर नगर अहमदाबाद गुंजरात।

3–पार्टनर मैसर्स राजेश डेयरी प्रोडक्ट, प्लॉट नं0 91–95 ब्लॉक नं0 1019 व 1020 फेज 4 गायत्री मन्दिर से जी0आई0डी0सी0 नरोडा, अहमदाबाद गुजरात पिन न0 382330

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 17/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2025 को समय 02:11 पी.एम. पर मैसर्स गोपाल स्वीटस, छाया मार्केट जहाजपुर चुँगी नाका के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय अपने प्रतिष्ठान गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर स्वयम अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री गोपाल लाल विजय की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में बर्फी,, मिठाई, नमकीन, रसगुल्ला आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)** दुकान के काउन्टर पर पोलीथीन बेग में लगभग 10 किलोग्राम वास्ते आम जनता को विकय के दुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को बताकर कि **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)** दुकान की काउन्टर पर 10 किलोग्राम के पॉलीथीन बेग में रखें **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)** में से 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)** 2 किलोग्राम को प्लास्टिक की 4 साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 500–500 ग्राम भरकर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशित वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर शिशियों के ढक्कन लगाकर अच्छी एयरटाईट किया प्रत्येक शिशी को कागज में लपेटकर , नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4567 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4567 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथां मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीटस, छाया मार्केट जहाजपुर चुँगी नाका के पास देवली जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स राजेश डेयरी प्रोडक्ट, प्लॉट नं0 91–95 ब्लॉक नं0 1019 व 1020 फेज 4 गायत्री मन्दिर से जी0आई0डी0सी0 नरोडा, अहमदाबाद गुजरात का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/4568 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/4513/एक्ट/2025/4438 दिनांक 12.11.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)**एफ.एफ.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक एवं अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मावा निर्मित मिठाई जय श्री कृष्णा ब्राण्ड (Khoya Based Sweets Jai Shree Krishna Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया हैं, अतः अप्रार्थी सं01 को दोषमुक्त किया जाता हैं तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होंने से अप्रार्थी सं0 2 व 3 पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सीकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0